माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में राजभवन, जयपुर में दिनांक 23 जनवरी 2020 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 13वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

सैनिक कल्याण बोर्ड (राज्य सैनिक बोर्ड) की 13वीं बैठक माननीय श्री कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी 2020 को प्रातः 11.30 बजे राजभवन, जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य सेवाओं के उच्च अधिकारी एवं सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सम्मिलित पदाधिकारियों / सदस्यों का विवरण परिशिष्ठ 'ए' पर संलग्न है।

सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा बैठक में पधारे समस्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक का उद्वेश्य प्रस्ताव बताया गया।

माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक के लम्बे अन्तराल के बाद आयोजित हो रही है। यह बैठक अपने उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए एक आदर्श मंच सिद्ध होगी। उन्होने कहा कि सैनिक हमारे देश के प्रहरी ही नहीं अपितु असली नायक एवं राष्ट्र का गौरव हैं। विषम परिस्थितियों में भी वे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अतः हमें भी सैनिकों, वीरांगनाओं तथा परिवार के आश्रितों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए योजनाओं का कियान्वयन करना चाहिए।

माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि हमें भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को कौशल विकास से जोडना चाहिए। राजस्थान में देश का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय भी स्थापित है जो इस कार्य में सहयोग कर सकता है। साथ ही राज्य में पुलिस विश्वविद्यालय भी कतिपय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकता हैं। राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों हेतु जनरल इंश्योरेंस की सुविधा पर विचार कर सकती है। साथ ही स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु भूतपूर्व सैनिकों को ब्याज अनुदान दिये जाने पर भी राज्य सरकार विचार कर सकती है। कतिपय राज्यों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जा रही है। हमारे राज्य में भी इस तरह की

Scanned with CamScanner

गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कानूनी सहायता भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड अपने उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु निरन्तर अग्रसर रहे एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते इन योजनाओं की कियान्विति की समीक्षा नियमित रूप से उनके द्वारा की जायेगी। इसके पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की आज्ञा प्रदान की।

बिग्रेडियर करण सिंह राठौड़, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा अपने प्रजन्टेशन के प्रथम भाग में सैनिक कल्याण विभाग का प्रशासनिक ढॉचा, विभाग की स्थापना का उद्धेश्य, विभाग का संक्षिप्त इतिहास, जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के कार्य क्षेत्र तथा सैनिक विश्राम गृहों की स्थिति से अवगत करवाया।

इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर्स, प्रदेश में निवास कर रहे पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के आश्रितों तथा विभिन्न पदकों से अलंकृत सैनिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निदेशक महोदय ने बताया कि शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए जारी पैकेज पूरे देश में सबसे अच्छा है तथा अन्य राज्य की तुलना में काफी अधिक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

इसके पश्चात प्रेजेन्टशन के द्वितीय भाग में राज्य सैनिक बोर्ड की 13वीं बैठक के ऐजेन्डा पर बिन्दुवार चर्चा हुई तथा निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है –

बिन्दु संख्या – 1 **12वीं बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रगति एवं पुष्टि**

दिनांक 28.10.2014 को सम्पन्न राज्य सैनिक बोर्ड की 12वीं बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रगति की पुष्टि की गई।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा विगत बैठक में लिए गए निर्णयों को सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कियान्वित किये जाने पर संतोष व्यक्त किया गया।

Scanned with CamScanner

बिन्दू संख्या –2 **शौर्य पदक से अलंकृत सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा**

निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया पुलिस पदकों से अलंकृत अर्द्ध सैनिक बलों (बीएसएफ, सीआरपीएफ व आरएसी) के कार्मिकों को राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है परन्तु शौर्य पदकों से अलंकृत सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।

श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त द्वारा बताया गया कि सैनिक कल्याण विभाग द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से अस्वीकार कर दिए गए थे। विस्तृत चर्चा के पश्चात श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री ने प्रस्तावित किया कि सशस्त्र बलों के सैनिकों के शौर्य को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पुनः प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाये जावें ताकि शौर्य पदक धारकों को निःशुल्क बस पास सुविधा प्राप्त हो सके। इससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दू संख्या –3 **शौर्य पदक धारकों को भूमि के एवज में दी जाने वाली राशि 4.00 लाख रूपये से बढाकर राशि 25.00 लाख रूपये किये जाना बाबत।**

निदेशक सैनिक कल्याण विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2019–2020 में शौर्य पदक विजेताओं को 25 बीघा भूमि अथवा भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिए जाने की घोषणा की गई तथा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बिन्दू संख्या –4 **दिनांक 01.11.1962 से 11.05.1988 व 01.01.1994 से 16.07.2006 के सेना मेडल धारको की विसंगति दूर किये जाने बाबत।**

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि सैनिक कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को वित्त विभाग को भिजवाया जा

Scanned with CamScanner

चुका है। इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरण वित्त विभाग में प्राप्त हो चुका है। इस प्रकरण में शौर्य पदक धारकों को पूर्व की तिथि से सुविधाऐं प्रदान की जानी है जिसके कारण प्रस्ताव के परीक्षण में निर्णय में समय लगने की संभावना है। उन्होने यह भी प्रस्तावित किया कि पुलिस विभाग के शौर्य पदक धारकों को पूर्व की तिथियों से लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में जारी आदेशों की प्रतियों सहित प्रकरण शीघ्र ही पुनः राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावे। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा विस्तृत प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पुनः वित्त विभाग को भिजवाने जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दू संख्या –5 **दिनांक 01.01.1994 से पूर्व व 17.07.2006 से 26.07.2016 के बीच युद्ध सेवा मेडल (सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं युद्ध सेवा मेडल) धारकों को लाभ देने बाबत।**

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि सैनिक कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को वित्त विभाग को भिजवाया जा चुका है। इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरण वित्त विभाग में प्राप्त हो चुका है तथा परीक्षणाधीन है तथा इस संबंध में शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर अवगत करवा दिए जावेगा।

बिन्दू संख्या –6 **मेन्शन–इन–डिस्पेचस धारको को दिनांक 25.11.1974 से पूर्व व 12.05.1988 से राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल किये जाने बाबत।**

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि सैनिक कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को वित्त विभाग को भिजवाया जा चुका है। इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरण वित्त विभाग में प्राप्त हो चुका है तथा परीक्षणाधीन है तथा इस संबंध में शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर अवगत करवा दिए जावेगा।

Scanned with CamScanner

बिन्दू संख्या –7 **परम विशिष्ठ सेवा मेडल (PVSM) अति विशिष्ठ सेवा मेडल (AVSM) एवं विशिष्ठ सेवा मेडल (VSM) मेडल धारको को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल करने बाबत।**

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि सैनिक कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को वित्त विभाग को भिजवाया जा चुका है। इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरण वित्त विभाग में प्राप्त हो चुका है तथा परीक्षणाधीन है तथा इस संबंध में शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर अवगत करवा दिए जावेगा।

बिन्दु संख्या – 8 **राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अनिवार्य प्राप्तांक की बाध्यता पूर्व सैनिकों के लिए समाप्त करना**

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि सैनिक कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को कार्मिक विभाग को भिजवाया जा चुका है। इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के दौरान श्रीमती रोली सिंह, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा बताया गया कि विभागीय प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित पदों का अधिकतम लाभ पहुंचाये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही नियमों में संशोधन किया जावेगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में पूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन का लाभ मिल सके।

चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ने बताया कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु प्रकिया जारी है। पूर्व सैनिकों आयु सीमा, फीजिकल मापदण्ड तथा न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान की जा रही है अतः सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों को पुलिस विभाग में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जावे तथा उनके लिए कोचिंग कक्षाओं आदि की व्यवस्था की जावे ताकि पूर्व सैनिक उनके लिए आरक्षित पदों पर नियोजन प्राप्त कर सकें।

अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस ने सुझाव दिया कि पूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक संख्या में पुलिस विभाग में नियोजन प्रदान करने हेतु सैनिक कल्याण

Scanned with CamScanner

विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जावे। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इसकी सहमति प्रदान की गई।

माननीय राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिए गए कि पुलिस विभाग जारी रिक्तियों के संबंध में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। आवश्यकता होने पर कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करवाया जावे ताकि अधिक से अधिक संख्या में पूर्व सैनिकों को नियोजन प्राप्त हो सके।

बिन्दू संख्या –9 माननीय की आज्ञा के उपरान्त अन्य बिन्दू।

(क) सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर मे रिक्त पदों पर केवल भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त करने बाबत।

निदेशक सैनिक कल्याण विभाग ने बताया कि सैनिक कल्याण विभाग का अधिकांश कार्य सशस्त्र सेना से संबंधित होता है परन्तु विभाग भूतपूर्व सैनिकों कर्मचारियों की संख्या वहुत ही कम होने के कारण दिन–प्रतिदिन के कार्यों को सम्पादित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सैनिक कल्याण विभाग में केवल भूतपूर्व सैनिकों को पदस्थापित करने का प्रस्ताव पूर्व में भिजवाया गया था परन्तु उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। उन्होने आग्रह किया कि विभाग कर्मचारियों का कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण ने सुझाव दिया कि इस संबंध में अन्य राज्य में कर्मचारियों के पदस्थापन के नियमों के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक विभाग को भिजवाया जावे।

माननीय राज्यपाल महोदय ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की।

(ख) भूतपूर्व सैंनिको को सेना सेवा के दौरान जारी आर्म्स लाईसेन्स का नवीनीकरण बाबत

बैठक में चर्चा के दौरान राज्य सैनिक बोर्ड के अराजकीय सदस्य कर्नल बाबू खां, सेना मेडल ने बताया कि अन्य प्रदेशों से जारी हथियार के लाईसेन्स का नवीनीकरण करने के लिए पिछले स्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात भी लाईसेंस का नवीनीकरण समय पर नहीं किया जाता है जिसके कारण पूर्व सैनिकों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य

Scanned with CamScanner

सचिव, गृह विभाग द्वारा बताया किया लाईसेंस नवीनीकरण के निमयों में पूर्व में ही संशोधन कर दिया गया है तथा वर्तमान प्रक्रिया काफी सरल है जिसके कारण इस संबंध में अन्य कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नही है।

(ग) <u>पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स से मुक्ति</u>

बैठक में चर्चा के दौरान कर्नल बाबू खां, सेना मेडल ने बताया कि अधिकांश पूर्व सैनिक दूर–दराज के गॉवों में निवास करते हैं तथा उन्हें बार–बार अपने कार्यों से शहर आना पडता है। उन्होने यह भी बताया कि पूर्व में टोल टैक्स से पूर्व सैनिकों को मुक्त रखा गया था परन्तु वर्तमान मे उन्हें प्रतिदिन काफी राशि टैक्स के रूप में देनी पडती हैं।

माननीय सैनिक कल्याण मंत्री महोदय ने सुझाव दिया दिया कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाये जावें। आवश्यकता होने पर प्रकरण केन्द्र सरकार को भिजवाया जावेगा। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु पूर्णतया संवेदनशील है तथा समय–समय पर प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उनके हित में निर्णय लिए जाते रहे हैं। उन्होने यह भी बताया कि संविदा के आधार पर नियोजित पूर्व सैनिकों को वर्तमान में काफी कम पारिश्रमिक मिल रहा है, जिसमें वृद्धि के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय ने माननीय मंत्री महोदय की सैनिकों एवं वीरांगनाओं के प्रति उनकी भावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि बैठक में लिए निर्णयों की शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्विति करवाई जावे जिसके लिए राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित करवाई जावे।

माननीय राज्यपाल महोदय ने निर्देशित किया कि बैठक में लिए गए निर्णयों की समय पर कियान्विति, वर्तमान योजनाओं का लाभ समय पर पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों तक पहुंचाने तथा नवीन योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों एवं सैन्य अधिकारियों की एक मोनिटरिंग कमेटी का गठन किया जावे।

Scanned with CamScanner

बैठक के अन्त में माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी सैनिक कल्याण हेतु समय–समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं, जिनकी सुलभ जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचना आवश्यक है। सूचना प्रौद्यागिकी के इस युग में सभी सूचनायें इन्टरनेट पर उपलब्ध होनी चाहिए। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सैनिक कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं का एक संकलन तैयार किया जाकर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जावे एवं समय–समय पर अपडेट भी किया जावे। सैनिक कल्याण विभाग के सभी जिला स्तरीय कार्यालय भी आई0टी0 के माध्यम से इन्टीग्रेट किये जाने चाहिए। सैनिक कल्याण बोर्ड की समस्त बैठकों के कार्यवाही विवरण वेबसाईट पर अपलोड किये जावे जिससे बोर्ड की कार्यवाही से सभी अवगत रहे तथा पारदर्शिता बनी रहे।

इसके पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(ब्रिगेडियर करण सिंह राठौड)
निदेशक
सैनिक कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ. 19(3)सैकवि/2019/2341–73 **दिनांकः– 18 फरवरी 2020**

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण (सैनिक कल्याण बोर्ड)
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर
3. विशेषाधिकारी प्रथम, राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(ब्रिगेडियर करण सिंह राठौड)
निदेशक
सैनिक कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner

<u>परिशिष्ठ "ए"</u>

माननीय श्री कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सैनिक बोर्ड की 13वीं बैठक दिनांक 23.01.2020 में सम्मिलित पदाधिकारियों / सदस्यों का विवरण

1.	श्री प्रताप सिंह खाचरियावास़ माननीय सैनिक कल्याण मंत्री
2.	श्री डी बी गुप्ता, मुख्य सचिव
3.	ले0 जनरल आलोक कलेर, वीएसएम आर्मी कमाण्डर साउर्थ वेस्टर्न कमाण्ड
4.	ऐयर वाईस मार्शल उमेश कुमार सीनियर आफिसर इंचार्ज मुख्यालय, साउथ वेस्टर्न एयर कमाण्ड
5.	श्री राजीव स्वरूप अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं परिवहन परिवहन विभाग
6.	श्री सुवोध अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग
7.	श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग
8.	श्री राजीव शर्मा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विभाग
9.	श्रीमती रोली सिंह प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
10.	श्री भास्कर ए सावंत प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन
11.	श्री आलोक गुप्ता प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग
12.	श्री सिद्धार्थ महाजन शासन सचिव खाद्य विभाग
13.	ब्रिगेडियर डी वी सिंह कार्यवाहक जीओसी, मुख्यालय 61 सब एरिया

Scanned with CamScanner

14.	श्री यू डी खान, मैनेजिंग डाईरेक्टर राज0 राज्य पथ परिवहन निगम
15.	श्री प्रेमा राम परमार अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर
16.	श्री महेश शर्मा संयुक्त निदेशक रोजगार एवं श्रम
17.	श्री सी पी चावला, उप शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
18.	कर्नल आर एस देसवाल संयुक्त निदेशक केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
19.	ब्रिगेडियर नीरज सेठ, वाई एस एम डाईरेक्टर वेटेनर्स
20.	ग्रुप कैप्टन वी डी घोरपडे स्टेशन कमाण्डर, एयर फोर्स स्टेशन
21.	कर्नल आर एस कडवासरा कर्नल वेटनर्स मुख्यालय 61 सब एरिया
22.	ले0 जनरल एन के सिंह अराजकीय सदस्य
23.	ले0 जनरल सुशील गुप्ता, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम अराजकीय सदस्य
24.	मेजर जनरल महावीर सिंह अराजकीय सदस्य
25.	कर्नल बाबू खां, एस एम अराजकीय सदस्य
26.	कैप्टन गज सिंह अराजकीय सदस्य
27.	कर्नल एम एस जोधा अराजकीय सदस्य
28.	ब्रिगेडियर करण सिंह राठौड निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग सदस्य सचिव

सचिव, राज्यपाल सचिवालय, विशेषाधिकारी–प्रथम, राज्यपाल सचिवालय, विशिष्ठ सहायक, सैनिक कल्याण मंत्री, शासन वरिष्ठ उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जयपुर भी बैठक में उपस्थित रहे।

Scanned with CamScanner